न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

राजस्व वाद संख्या : **290/2018**

GCMS No. : **2018/00329**

-:: वादी ::- बनाम **-:: प्रतिवादी ::-**

1. गोविन्दलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल, जाति- नाई, निवासी- आ०कालू तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.24/12/2018

उपस्थितः-

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

-:: निर्णय ::- **दिनाँकः- 25/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी को उसके पिता फतहराज ने मुस्मात नारायणी बेवा मांगीलालजी को दिनांक 10.10.1973 को माफिक सामाजिक रिति रिवाज के गोद दिया व नारायणी देवी ने गोद लिया, जिसका एक लिखित गोदनामा भी उप-पंजियन अधिकारी जैतारण से निष्पादित किया हुआ है। नकल गोदनामा पेश है। सरहद मौजा आ०कालू चक-2 तहसील- जैतारण में खसरा नम्बर 727 रकबा 9-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। जमाबन्दी में उक्त भूमि फतहराज गोद गोविन्दलाल कौम- नाई बतौर खातेदार के दर्ज है जो गलत है काबिल दुरुस्त के है। वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि जरिये लिखित गोदनामा के आधार पर तत्कालिन सरंपच ग्राम- पंचायत आ०कालू ने म्यूटेशन संख्या 449 दिनांक 15.09.1977 को व तत्कालिन रेवेन्यू एजेन्सी ने फतहराज गोद पुत्र गोविन्दलाल के नाम गलत स्वीकृत कर दिया जो गलत व गैरकानूनी है तथा विरुद्ध लिखित गोदनामा है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में नाम गलत इन्दाज चला आ रहा है। वादी ने मुस्मात [illegible] की पत्नी मांगीलाल का गोद पुत्र है, जो लिखित गोदनामा [illegible] भूमि पर नारायणीदेवी पत्नी मांगीलाल के जीवनकाल में तथा [illegible] उपरान्त वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा नारायणीदेवी पत्नी मां[illegible]ल का वादी गोद पुत्र है तथा उनकी सम्पति पर एकमात्र हक व अधिकार वादी का ही है। वादी नारायणीदेवी पत्नी मांगीलाल का गोद पुत्र है तथा वादी गोद पुत्र मांगीलाल होने के प्रमाण भारत निर्वाचन आयोग से जारी पहचान-पत्र, भारत सरकार से जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

आधार कार्ड व राजस्थान सरकार से जारी राशन कार्ड के दस्तावेज से भी साबित है कि वादी दत्तक पुत्र मांगीलाल है, दस्तावेज साथ पेश है, म्यूटेशन नकल पेश हैं। वादी अपनी कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वादी नें दिनांक 03.12.2018 को जमाबन्दी की व 4.12.2018 को म्युटेशन की नकल लेने पर सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि वादी का नाम जमाबन्दी में फतहराज गोद गोविन्द लाल दर्ज है, जिस पर वादी ने प्रतिवादी को सही नाम इन्द्राज करने बाबत् एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2018 को दिया तो उन्होंने समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् कहा। तब वादी नें अपने नाम दर्ज करवाने बाबत् यह घोषणा का वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 4.12.2018 को वादी ने प्रतिवादी को वाद में वर्णित जमाबन्दी में अपना नाम सही इन्द्राज करने को कहा तो प्रतिवादी नें समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् कहा तो बमुकाम आ0कालू, जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण का बिन्दूवार जवाब दावा निम्नानुसार हैः– बिन्दू संख्या 01 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 02 राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम आ0कालू द्वितीय सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 205 में खसरा नम्बर 727 रकबा 09–02 बीघा किस्म बाराजी अव्वल में फतेहराज गोद गोविन्दलाल कौम नाई सा0देह खातेदार दर्ज है। बिन्दू संख्या 3 से 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 06, 07 व 08 कानूनी बिन्दू है तथा बिन्दू संख्या 09 न्यायालय से सम्बन्धित है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। पंजीकृत बैचाननामा प्रदर्श–3ए में अंकन इस प्रकार है ''नारायणी बेवा स्वर्गीय मांगीलाल जाति– नाई आ0कालू तहसील जैतारण द्वारा अपने सगे भतीजे फतहराज के पुत्र श्री गोविन्दलाल पुत्र फतहराज को गोद लिया'' प्रदर्श–2 नामान्तरण पंजीका ग्राम आ0कालू द्वितीय के नामान्तरण संख्या 449 दिनांक 15.09.1977 के कॉलम संख्या 11 में अंकन इस प्रकार है '' श्री फतहराज पुत्र गोविन्द लाल'' कॉलम संख्या 14 ''जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा नामान्तरण दर्ज किया गया।'' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत गोदनामा के अनुरूप नामान्तरण दर्ज नहीं करके त्रुटि कारित कि है। गोविन्दलाल के जैविक पिता फतहराज है तथा गोविन्दलाल को मृतक मांगीलाल बेवा नारायणी द्वारा गोद लिया गया था। अतः गोविन्द दत्तक पुत्र मांगीलाल दर्ज किया जाना चाहिए था। जैसा कि पंजीकृत लिखित गोदनामा में अंकित है। वादी का परिवार राशन कार्ड ग्राम आ0कालू में गोविन्दलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज है, इसी प्रकार वादी के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में गोविन्दलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज है। वादी गोविन्दलाल द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र एवं वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जैविक पिता फतहराज के पुत्र शान्तिलाल एवं सुरेशचन्द द्वारा साक्ष्य वादी में शपथपत्र पर वादी के वादपत्र का समर्थन किया है तथा यह स्वीकार किया है कि हम शान्तिलाल, सुरेशचन्द और गोविन्दलाल तीन भाई है तथा हमारे भाई गोविन्दलाल को हमारे माता पिता ने अपने जीवनकाल में नारायणी देवी बेवा मांगीलाल को गोद दे दिया था। इस प्रकार दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि वादी गोविन्दलाल जैविक पिता फतहराज है तथा यह मांगीलाल तथा नारायणी देवी का दत्तक पुत्र है। अतः पंजीबद्ध लिखित गोदनामा के अनुरूप वादग्रस्त आराजी में वादी का सही नाम गोविन्दलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल दर्ज करते हुये खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी ग्राम–आ0कालू द्वितीय तहसील–जैतारण जिला–पाली के खसरा नम्बर 727 रकबा 9–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"फतेहराज गोद गोविन्दलाल"*** को विलोपित करते हुये मुताबिक पंजीकृत गोदनामा वादी ***"गोविन्दलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल"*** कौम– नाई सा0 देह को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 25/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 290/2018
GCMS No. : 2018/00329

-:: वादी ::-

1. गोविन्दलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल, जाति- नाई, निवासी- आ0कालू तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

बनाम

-:: प्रतिवादी ::-

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :- रा0वा0 स0: 290/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी ग्राम-आ0कालू द्वितीय तहसील-जैतारण जिला-पाली के खसरा नम्बर 727 रकबा 9-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"फतेहराज गोद गोविन्दलाल"*** को विलोपित करते हुये मुताबिक पंजीकृत गोदनामा वादी ***"गोविन्दलाल दत्तक पुत्र मांगीलाल"*** कौम- नाई सा0 देह को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/02/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:11 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	[illegible]		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत	[illegible]	00	[illegible]		
महनताना वकील	08	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	10	00	मिजानः-	Nil	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।